तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी:– श्री विभौर गौड रेस्पो. अधि. : श्री लेखू मंघानी

आपत्ति संधारणीय व पोषणीय नही है, प्रथम दृष्टया ही इस विधिक आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति बाबत प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति की पोषणीयता व संधारणीयता दिनांकित 11.11.2014 स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष अभिभाषक की सुनी बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97–क(2) के प्रस्तुत की गई है, धारा 97–क (2) के तहत जिला परिषद, के उन आदेशो के तहत अपील हो सकती है, जहाँ जिला परिषद ने उनके प्रस्तुत अधिनियम की धारा 97–क(2) के तहत प्रस्तुत अपील में कोई आदेश पारित किया हो। जिला परिषद ने अपीलाधीन आदेश दिनाक 21.05.2014 अधिनियम की धारा 97–क(2) के तहत पारित नहीं किया है, इसलिये दिंनाक 21.05.2014 का आदेश अधिनियम की धारा 97–क(2) के तहत अपील संधारण योग्य नही है। अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति बाबत अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2014 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner